

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/

प्रार्थी

5017

बनाम

दिनांक -

04/06/25

अप्रार्थीगण

1 उम्मेदाराम पुत्र
सगरामाराम जाति
माली निवासी माडपुरा
सानी, कवास तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।


1 मेवाराम पुत्र पोकराराम 2 भंवराराम पुत्र
शंकराराम 3 कुम्भाराम पुत्र जमनाराम 4
राणाराम पुत्र पोकराराम 5 भंवराराम पुत्र
खुमाराम निवासी माडपुरा सानी, कवास
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 675/2024

दिनांक- 30/05/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा माडपुरा सानी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर भूमि खसरा संख्या 275 रकबा 0.0405 हेक्टर व खसरा संख्या 276
रकबा 2.6871 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने
हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई
करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थी को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा
जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की
जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की
जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,

उप खण्ड अधिकारी

बाड़मेर

दिनांक-


24/06/25

क्रमांक :- रीडर/2025/

5018-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी दुर्गसिंह उम्मेदाराम पुत्र सगरामाराम जाति माली निवासी माडपुरा सानी, कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण मेवाराम पुत्र पोकराराम निवासी माडपुरा सानी, कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

